

CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XX, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 2, Thursday, November 17, 2016/Kartika 26, 1938 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
REFERENCES BY THE SPEAKER	9
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 21 to 25	14-66
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 26 to 40	67-116
Unstarred Question Nos. 231 to 460	117-651

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RESIGNATION BY MEMBER	652
PAPERS LAID ON THE TABLE	654-656
ASSENT TO BILLS	657-658
COMMITTEE ON MPLADS (LOK SABHA)	
Action Taken Statement	659
MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016 EXTENSION OF TIME	660
MATTERS UNDER RULE 377	663-682
(i) Need to restart Coal Handling Plant, Kalyani in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand	
Shri Ravindra Kumar Pandey	664
(ii) Need to create an All India Judicial Service	
Dr. Udit Raj	665
(iii) Need to establish a girls' degree college in Siwan, Bihar	
Shri Om Prakash Yadav	666
(iv) Need to provide Rajasthan its allocated share of Yamuna river water as per agreement	
Shri Rahul Kaswan	667
(v) Need to formulate a policy for proper waste management system in Patna, Bihar	
Shrimati Rama Devi	668

- (vi) Need to provide stoppage of all express and mail trains at Adityapur railway station in Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand
Shri Laxman Giluwa 669
- (vii) Need to set up Marine Immigration check posts at sea ports in Gujarat
Shrimati Jayshreeben Patel 670
- (viii) Need to develop Ramayana tourist circuit and also to set up a Ramayana heritage complex at Chitrakoot
Shri Ganesh Singh 671
- (ix) Need for police reforms in the country
Shri Harishchandra alias Harish Dwivedi 672
- (x) Need to open a Kendriya Vidyalaya or Sainik School in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Bhanu Pratap Singh Verma 673
- (xi) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Amreli district, Gujarat
Shri Naranbhai Kachhadia 674
- (xii) Need to provide irrigation facilities in tribal areas of Maharashtra particularly in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency in the State
Shri Ashok Mahadeorao Nete 675
- (xiii) Need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists
Shri Jagdambika Pal 676

(xiv) Need to construct an underpass and service line on Toll Tax Booth on National Highway No. 26 in Damoh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh		
	Shri Prahlad Singh Patel	677
(xv) Need to protect and preserve the backwaters of Kuttanad, Kerala		
	Shri Kodikunnil Suresh	678
(xvi) Need to review restrictions imposed on construction activities by CRZ norms		
	Shri K. C. Venugopal	679
(xvii) Need to resolve Cauvery Water Dispute		
	Shri B. Senguttuvan	680
(xviii) Regarding special package for effluent treatment plants and infrastructural development facilities in Tirupur in Tamil Nadu		
	Shrimati V. Sathyabama	681
(xix) Need to address the challenges posed by the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement		
	Adv. Joice George	682
 <u>ANNEXURE – I</u>		
Member-wise Index to Starred Questions		686
Member-wise Index to Unstarred Questions		687-692
 <u>ANNEXURE – II</u>		
Ministry-wise Index to Starred Questions		693
Ministry-wise Index to Unstarred Questions		694

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, November 17, 2016/Kartika 26, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (Interruptions)

REFERENCES BY THE SPEAKER

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 18 सितम्बर, 2016 को कश्मीर के उरी में किए गए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में 19 सैनिक शहीद हो गए थे।

सदस्यगण, विगत में विभिन्न दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हो गए जिनमें से अभी हाल ही में बिहार में छठ महोत्सव के दौरान अलग-अलग दुर्घटनाओं में करीब 50 लोगों की मृत्यु भी शामिल है।

हम हैती में 4 अक्टूबर, 2016 को मैथ्यू समुद्री तुफान से हुए विनाश से अत्यधिक दुखी हैं, जिसके परिणामस्वरूप जान और माल की भारी क्षति हुई है। यह सभा हैती के मिलनसार लोगों तथा उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है जिनकी मृत्यु इस प्राकृतिक आपदा में हुई है।

यह सभा अमानवीय आतंकवादी हमले और त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाओं, जिनके कारण शोकसंतप्त परिवारों को काफी कष्ट एवं पीड़ा पहुंची है, इस पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11.03 hours

(The Members then stood in silence for short while.)

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will not allow all of you, otherwise I will start Question Hour.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, हमने रूल 56 के तहत एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसे आप एडमिट कीजिए। सभी दलों के लोग यह चाहते हैं कि इस पर गहरी चर्चा हो तो हमने यह नोटिस दिया है -

“The hardship and economic disruption caused by the recent demonetisation of Rs. 500 and Rs. 1000 notes and the failure of the Government to redress the plight of the farmers, small traders, unorganized workers and all the plantation workers, fishermen and common man. The House notes with concern the leakage of demonetization information for certain people.”

That is why, we want a discussion under Rule 56. So, I want the discussion to start immediately, with your permission, Madam ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सब नहीं बोलेंगे।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Our Party has also submitted a notice for Adjournment Motion. We want a discussion under Adjournment Motion. We feel that demonetisation of Rs. 500 and Rs. 1000 notes has caused tremendous difficulties to the poor people and common man. They are passing their days with huge difficulties. So, let this decision be temporarily withdrawn to chalk out a final plan and we should all fight against black money together. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of you should not speak together.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, आप बोलिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये, जिनके एडजर्नमेंट मोशन हैं, वे बोलेंगे, हमें डिस्कशन नहीं करना है, प्लीज आप बैठिये।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, जो नोटबंदी का ऐलान किया गया, इससे गरीबों की भारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। बिना परिस्थिति एवं परिणाम का आकलन किये हुए अव्यावहारिक निर्णय लिया गया है और गरीबों को भारी कष्ट में डाला गया है। कालाधन तो नहीं आ रहा है...

माननीय अध्यक्ष : ओ.के. जयप्रकाश जी। आप भी इसी इश्यु पर बोलना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? क्या आपका भी एडजर्नमेंट मोशन है? ओ.के., अगर आप कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, we want a discussion under Adjournment Motion on this issue.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आप सबकी बात समझ ली, हर एक को बोलने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, क्या आपका भी एडजर्नमेंट मोशन है? आपकी बात भी नोट हो गई, आप सबकी बात नोट हो गई है, हर एक व्यक्ति नहीं बोलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी आप बात मत करिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी बहुत मानती हूँ।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने भ्रष्टाचार, कालेधन और जाली नोट को खत्म करने के लिए और इसके द्वारा पनपने वाले आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ... (व्यवधान) हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप उनकी बात सुनिये।

श्री अनन्तकुमार : विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आया है। हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि प्रश्नकाल सस्पेंड करते हुए इसके बारे में चर्चा करने के लिए भारत सरकार तैयार है और इसके लाभ क्या हैं, इसमें दिक्कतें क्या हैं, इसमें कष्ट क्या है, कैसे पूरे देश की जनता मोदी जी के इस निर्णय के साथ है... (व्यवधान) हम सारे दिन यहां चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा इतना ही आग्रह होगा कि नियम 193 के तहत हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चर्चा से पीछे नहीं मुड़ रहे हैं। ... (व्यवधान) दूसरे सदन में हम इस पर चर्चा शुरू कर चुके हैं और यहां भी हम पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जितनी आपकी मर्जी उतनी चर्चा करने के लिए तैयार हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं

...(व्यवधान) क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहां की कोई पार्टी, कोई सांसद काला धन के पक्ष में नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है, जाली नोट के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के पक्ष में नहीं है।...(व्यवधान) हम सब एक सुर से इन सभी चीजों के खिलाफ हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) मैडम, नियम-193 के तहत चर्चा करवा दीजिए। ...(व्यवधान)

11.10 hours

(At this stage, Shri Mohammad Salim, Shri Kalyan Banerjee, Shri M.I. Shanavas and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: You do not want discussion.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा हो सकती है। मैं आपको अलाऊ करूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप हल्ला चाहते हैं।

...(व्यवधान)

11.11 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, the Question Hour. Question No. 21.

Shrimati Supriya Sule.

... (*Interruptions*)

(Q. 21)

HON. SPEAKER: I am ready to allow a discussion, but you do not want it. Then it is all right.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Madam Speaker, the House is not in order. I cannot hear anything.... (*Interruptions*) How to ask the question? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Vijaysinh Shankarrao Mohite Patil.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Kirit Somaiya.

डॉ. किरिट सोमैया : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो एक्सिडेंट्स होते हैं, उनको इमरजेंसी मैडिकल सर्विसिज़ प्रोवाइड करने की दृष्टि से जो ये ब्लैक स्पॉट्स हैं ...(व्यवधान) उनको आने वाले तीन साल में किस प्रकार से कम किया जाएगा। ...(व्यवधान) इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट्स में जो एक्सिडेंट्स होते हैं, ...(व्यवधान) उनको इमरजेंसी इमरजेंसी मैडिकल सर्विसिज़ प्रोवाइड करने की दृष्टि से सरकार की क्या योजना है? ...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल.मांडविया) : अध्यक्ष महोदया, कुल मिला कर इस प्रकार के 789 ब्लैक स्पॉट्स हैं। ...(व्यवधान) इन ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने सक्रियता से काम किया है और उस पर एक्शन भी लिया है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि जब एक्सिडेंट्स होते हैं, उसमें हमने प्रयोगात्मक तौर पर कुछ किया है। ...(व्यवधान) एक्सिडेंट होने पर सामान्य लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ...(व्यवधान) जब परिवार के किसी सदस्य का गाड़ी चलाते समय एक्सिडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है या उसको घात लग जाता है, वैसी स्थिति में हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकें, उसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। ...(व्यवधान) जो राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे है, खास तौर पर प्रायोगिक रूप से अहमदाबाद से वड़ोदरा तक जो एक्सप्रेस-वे है, उस पर कोई एक्सिडेंट होगा तो नज़दीकी अस्पताल में छह हजार रुपये तक का उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा और उसका इलाज करवाया जाएगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You do not want discussion. We are ready.

... (Interruptions)

SHRI THOTA NARASIMHAM : Madam Speaker, eight black spots are identified in Andhra Pradesh. What remedial measures are required to be taken? What action has been taken to curb these black spots in Andhra Pradesh? Thirty per cent of the driving licences in Andhra Pradesh are bogus. It is proposed to set up an online system.

Is it a fact that out of 18 crore driving licences, 5.4 crore licences are bogus? ... (*Interruptions*) I would like to know whether there is any proposal with the Ministry to create a centralizd system to eliminate fake and bogus driving licences from active licences. ... (*Interruptions*)

What are the steps taken by the Ministry to improve roadside amenities for quick response and transfer of accident victims to hospitals/trauma centres in National Highways? ... (*Interruptions*)

श्री मनसुख एल.मांडविया : महोदया, आन्ध्र प्रदेश में आठ ब्लैक स्पॉट हैं।... (व्यवधान) एक ब्लैक स्पॉट नया आइडेन्टिफाई किया गया है।... (व्यवधान) हमने ब्लैक स्पॉट के सन्दर्भ में बहुत विचार किया है और अभी तक सालों से जो यह सिस्टम बना हुआ था कि वहाँ रोड सेफ्टी के लिए विस्तार से नहीं देखा जाता था।... (व्यवधान) रोड बनते रहते थे और बनने के साथ-साथ उसका एक्वुअल क्या करना चाहिए, यह नहीं देखा गया। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रास्ते पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है।... (व्यवधान) हर साल 10 परसेंट चार पहिया वाहन बढ़ रहे हैं।... (व्यवधान) ऐसी स्थिति में रोड सेफ्टी ऑडिट का हमने अच्छी तरह से इम्प्लिमेंटेशन करने की कोशिश की है।... (व्यवधान) कुल मिलाकर 26 मुद्दे आइडेन्टिफाई किए हैं, 26 प्वाइंट आइडेन्टिफाई करके उन्हें हम अच्छी तरह से कैसे करें और उसको ठीक करने के लिए हमने यह किया है कि जब डीपीआर बने तब से उसको इन्क्लूड किया है।... (व्यवधान) डीपीआर के बाद जब रास्ता क्लियर होगा, रास्ता बनेगा, उस समय भी हम देखेंगे।... (व्यवधान) कुल मिलाकर जो ऐक्सिडेन्ट्स हो रहे हैं, उन ऐक्सिडेन्ट्स को काम करने के लिए हम सम्भव और हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं।... (व्यवधान)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

Madam, human life is very precious and once a life goes, we cannot bring it back. ... (*Interruptions*) But unfortunately, when we see the length of the roads in the country, the number of accidents is the highest in India compared to any other country in the world. ... (*Interruptions*) For example, though our State Telangana is a smaller State, the number of accidents is higher compared to bigger States like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar. ... (*Interruptions*)

I would like to bring it to the notice of the Minister, through you, that I have already written to NHAI for construction of vehicular underpasses in NH 163 and also in NH 65 in my State of Telangana. ... (*Interruptions*) It was agreed and

administrative and financial clearances were also given for the same. ... (Interruptions) Now, 50 per cent of the tenure of this Lok Sabha, that is, 2 ½ years have passed. ... (Interruptions) But still the work has not yet started on the ground. ... (Interruptions) So, I would like to know as to when the work is going to start for the construction of these vehicular underpasses. ... (Interruptions)

Secondly, demonetization will also lead to increased spending in infrastructure. ... (Interruptions) So, I do hope that in future roads are constructed with more safety features. ... (Interruptions)

श्री मनसुख एल.मांडविया : महोदया, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, तेलंगाना में कुल मिलाकर 76 ब्लैक स्पॉट आइडेन्टिफाई किये गए हैं।... (व्यवधान) हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि देश में रास्ते में ऐक्सिडेन्ट्स कम हों।... (व्यवधान) आज कुल मिलाकर देश में नेशनल हाइवे पर पाँच लाख ऐक्सिडेन्ट्स होते हैं और उनमें 1.46 लाख लोगों की लाइफ जाती है।... (व्यवधान) उनकी लाइफ न जाये, उनको बचाया जाये, उसके लिए हमने विस्तार से और गम्भीरता से काम करना शुरू किया है।... (व्यवधान) इसलिए जहाँ पहले ब्लैक स्पॉट आइडेन्टिफाई नहीं हुआ था, कहीं पर साल में दो-तीन-चार ऐक्सिडेन्ट्स हो जाते हैं, उनमें पाँच-दस लोगों की डेथ हो जाती है, हमने ऐसे स्थानों को भी ब्लैक स्पॉट के रूप में आइडेन्टिफाई किया है।... (व्यवधान) सिर्फ इतना ही नहीं, ऐक्सिडेन्ट होने के रीजन क्या-क्या हैं, उसके लिए रोड सेफ्टी ऑडिट ने जो सुझाव दिया, उसका भी इम्प्लिमेंटेशन करने की हमने कोशिश की है और हमने शुरुआत भी कर दी है।... (व्यवधान)

जहाँ अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाने हैं, जहाँ डिवाइडर बनाने हैं, जो हिली क्षेत्र है, वैसे क्षेत्रों में बैरियर लगाना है, उनके साथ-साथ हम आइडेन्टिफाई करना चाहते हैं कि किसी भी रास्ते पर जो वाइल्डलाफ एनिमल्स पास करते हैं, कोई ऐसे नेशनल हाइवे होते हैं, जहाँ लैंडस्लाइड होता है, वैसी स्थिति में हम इंडीकेट कर रहे हैं कि वैसी स्थिति में लोग पहले से ही सतर्क रहें। तेलंगाना में हाई ब्लैक स्पॉट्स पर 63 लोगों की जान गई है, जिनकी एक्सीडेंट्स में मृत्यु हुई है। आने वाले दिनों में हम वैसे ब्लैक स्पॉट्स को रैक्टिफाई करेंगे और करेक्ट करेंगे। हमारे मन में ऐसा है कि अगले दो सालों में देश में नेशनल हाइवे पर जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेन्टिफाई किए गए हैं, ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को हम पूरे देश में तीन सालों में खत्म करना चाहते हैं। जिस हिसाब से हमारे मंत्रालय की गतिविधियों के हिसाब से हम काम करते हैं, वैसी स्थिति में हम दो सालों में कर लेंगे, लेकिन तीन सालों में करने के लिए हमने टार्गेट रखा है, इतने समय में पूरा करेंगे और लोगों की लाइफ न जाए और लोगों को नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट्स का सामना न करना पड़े, इसके लिए हर संभव कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रेड्डी जी, आपका मार्क ऑन नहीं हुआ?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रेड्डी जी, आप पीछे की सीट पर जाएँ तो मार्क ऑन हो जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा होगी, आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Madam, I would like to ask the hon. Minister regarding the accidents, which are taking place at National Highway No. 44. There is a village, which is named as a 'widow village'. Almost all the men in that Tanda area have expired. There is no man alive there; only women are there. There was a big article, which has come out in 'The Hindu', which says: "It is only a widows' village"... *(Interruptions)*

Madam, after so many representations, no action has been taken till now. Similarly, there are black spots in some other areas, viz., Kothakota, Janampeta, Adakal and Jadcherla about which, we had also given a lot of representations. Many a people, when they are just crossing the roads, they are being killed. A lump of mutton piece is being put on the road. We had, many a time, asked the Ministry to take action and to give us underpass roads or bypass roads but no action has been taken till now... *(Interruptions)*

I would request the hon. Minister to please see that these works are taken up immediately.... *(Interruptions)*

श्री मनसुख एल.मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, एक्सीडेंट्स होने के तीन कारण होते हैं। पहला, जब केयरलैस होकर लोग व्हीकल चलाते हैं, वैसी स्थिति में एक्सीडेंट्स होने की संभावना होती है। दूसरा, जो पैदल यात्री सड़क पार करते हैं, वैसे लोग बिना देखे रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वैसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है, और तीसरी स्थिति, जब रास्ता ठीक न हो और रास्ते में कोई मोड़ आ जाता है जिसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया होता और उस पर आइडेंटिटी मार्क नहीं लगाया गया होता कि वहाँ

रास्ते में दिक्कत है, वैसी स्थिति एक्सीडेंट हो सकता है। माननीय सदस्य ने बताया है कि तेलंगाना में जिस गाँव में एक्सीडेंट हो रहा है, हम चाहते हैं कि देश में ऐसी कोई भी घटना न हो, क्योंकि वे भी जानते हैं, इसलिए हम वह मेजर स्टेप लेने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि जो युवा लोग हैं और व्हीकल चलाने वाले लोग हैं, घर-परिवार में कोई व्यक्ति कमाने वाले होते हैं और उसके आधार पर घर चलता है तो एक्सीडेंट में डूँथ हो जाने से उसका परिवार बरबाद हो जाता है, वैसी स्थिति में बरबादी का भोग किसी को न बनना पड़े, इसलिए माननीय सदस्य ने जो बताया, वहाँ हम प्रयास करेंगे और कोई आवश्यकता होगी तो हम अवश्य वह कार्य पूर्ण करेंगे।

(Q. 22)

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : मैडम, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने हमारे क्वेश्चन का अच्छे-से उत्तर दे दिया है, हम संतुष्ट भी हैं।...(व्यवधान) लेकिन, मैं अपनी कंस्टीट्युन्सी भावनगर के लिए एक प्रश्न उठाना चाहती हूँ।...(व्यवधान)

मैडम, हमारा भावनगर एक कोस्टल एरिया है और वहाँ लिग्नाइट, बॉक्साइट, बेंटोनाइट का खनन हो रहा है।...(व्यवधान) जब किसी भी मिनरल का खनन होता है तो यह खनन बहुत गहरा होने की वजह से समुद्री पानी मीठे भू-जल के स्रोत को बिगाड़ देता है और समुद्री पानी ज़मीन के अंदर चला आता है।...(व्यवधान) इसकी वजह से हमारे क्षेत्र में कोस्टल एरिया की लैंड, जो पहले बहुत अच्छी थी, अब हजारों हेक्टेयर लैंड बिगड़ गयी है।...(व्यवधान) उसके भू-जल का लेयर पूरा बिगड़ गया है। जिसकी वजह से वह ज़मीन अब खेती लायक नहीं रह गयी और वहाँ का पानी भी पीने के लायक नहीं रह गया है।...(व्यवधान) हमारे इलाके से हजारों की संख्या में लोग माइग्रेट भी हो रहे हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या माइनिंग कंपनियां या सरकार कोई ऐसा कदम उठाना चाहती है जिससे भू-जल का मीठा जल वैसा ही बना रहे और वह पीने के लायक और खेती के लायक बना रहे?

श्री पीयूष गोयल : माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से पहले तो मैं बताऊँ कि यह बहुत अच्छा प्रश्न है।...(व्यवधान) जो अवैध खनन का काम होता है, उसके लिए पहली बार देश में मोदी सरकार ने इतने कठोर कदम उठाए हैं।...(व्यवधान) एम.एम.डी.आर. एक्ट जब अमेंड हुआ तो जो इतने वर्षों से पुरानी सरकारों ने नहीं किया था, वह हमने किया है।...(व्यवधान) जैसे छः महीने के बदले पांच सालों के जेल का कानूनी प्रावधान, पचास हजार रुपए से पांच लाख रुपए के दंड के प्रावधान जैसे कई कदम हमने उठाए हैं। उससे अवैध खनन बंद होगी।...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि अभी भी डी-मॉनेटाइजेशन के कदम के लिए पूरे सदन को माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी को सम्मान देना चाहिए, जिन्होंने अवैध माइनिंग से पाए हुए काले धन पर प्रहार किया है।...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्य भी इसे एग्री करेंगे कि अवैध माइनिंग में काले धन का इस्तेमाल होता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है।...(व्यवधान) गरीब लोगों को यह दिख रहा है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए पहली बार मोदी सरकार ने इतने ठोस कदम उठाए हैं।...(व्यवधान)

जहाँ तक भावनगर का विषय है, हमने सभी खनन मालिकों को, खनन कंपनियों को चौकन्ना किया है कि वहाँ का पानी खराब न हो, पानी के ऊपर पर्यावरण के पूरे नियम लगाए जाएं।...(व्यवधान) ये सब माइन्स राज्य सरकार के अंतर्गत हैं।...(व्यवधान) मैं गुजरात राज्य सरकार से बातचीत करके भावनगर की समस्या के बारे में पूरे कदम उठाऊंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप लोग डिस्कशन चाहते हैं तो, please go back to your seats. They are ready to discuss.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के लिए तैयार है सरकार। आप चर्चा नहीं चाहते हैं तो बात अलग है।

...(व्यवधान)

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : मैडम, हमारे गुजरात के पंचमहल जिले में शिवराजपुर का इलाका है और छोटा उदयपुर जिले में कवाड तहसील में कड़ीपानी इलाका है।...(व्यवधान) पंचमहल में मैंगनीज का और कड़ीपानी इलाके में फ्लोरसपार का बड़ी मात्रा में जत्था उपलब्ध है।...(व्यवधान) जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, इसके पहले से इन खनिजों का वहां खनन होता था और हम उनका अच्छे-से उपयोग भी कर रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद किसी-न-किसी कारणवश वहां खनन नहीं हो रहा है और उनका उपयोग भी नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

मैडम, खनिज का इतना जत्था वहां ज़मीन के अंदर भरा पड़ा है कि अभी वह सौ सालों तक उपलब्ध रहेगा।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे गुजरात में ये जो क़ीमती खनिज हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, इस पंचमहल इलाके का एक्सप्लोरेशन हम करवाकर उसकी जो फाईंडिंग्स हैं, उसके हिसाब से पारदर्शी नीलामी से इन खननों को भी सौंपेंगे।...(व्यवधान) जो पहले इतने वर्षों से चलता आया है, पुरानी सरकारों ने अपने-अपने सांसदों, मित्रों, बंधुओं, रिश्तेदारों को बिना पारदर्शिता के भ्रष्टाचारयुक्त, जिस प्रकार से खनन दिए थे, उसको इस सरकार ने रोका है।...(व्यवधान) हमने सभी खनन पारदर्शिता और ईमानदार नीलामी से दिए हैं। आगे भी उस इलाके का पूरा एक्सप्लोरेशन करके इसको भी ईमानदार तरीके से, पारदर्शिता से, नीलामी से दिया जाएगा।...(व्यवधान)

प्रो.चिंतामणि मालवीय : महोदया, अवैध उत्खनन आज देश में बड़ी समस्या बन गया है। नई मशीनों और तकनीकी के संसाधनों के कारण इसमें बहुत तेजी आई है।...(व्यवधान) हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारा पर्यावरण, इको-डायवर्सिटी सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। देश में नक्सलवाद के बढ़ने में, अपराध बढ़ने में, काला धन बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है।...(व्यवधान) अवैध उत्खनन नहीं रोका गया तो भ्रष्टाचार और काला धन को रोकने में सरकार को बहुत परेशानी आएगी। ...(व्यवधान)

मेरा माननीय महोदय से प्रश्न है कि क्या सरकार अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए भारतीय खान ब्यूरो के परामर्श से महत्वपूर्ण खनिज हेतु खान निगरानी प्रणाली विकसित और स्थापित कर रही है?

...(व्यवधान) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, सरकार ने जो कड़े से कड़े कदम इस विषय में लिए हैं जिससे अवैध माइनिंग बंद हो, उसकी बारे में पूरी जानकारी प्रश्न के उत्तर में दी है। ... (व्यवधान) हम दो प्रकार से इसको रोकने में काम कर रहे हैं। एक तो राज्य सरकारों के साथ हम एक नई टेक्नालॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिसको माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम कहते हैं। ... (व्यवधान) इस माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम से, इसमें सेटेलाइट से लेकर हम सभी माइन्स को मैप करेंगे। ... (व्यवधान) जहां-जहां इल्लीगल माइनिंग हो रही है, उसका डेटा हमें इससे मिलेगा। वह डेटा राज्य सरकारों को देकर इल्लीगल माइनिंग को रोक पाएंगे। ... (व्यवधान) साथ ही साथ जो भी इल्लीगल माइनिंग में पकड़ा जाता है, पहले उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती थी। अब राज्य सरकारों ने कार्रवाई भी बढ़ाई है और अवैध माइनिंग पर रोक लगाने में हम सफल हुए हैं। ... (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य समझें कि इल्लीगल माइनिंग से काला धन उत्पन्न होता है, उससे भ्रष्टाचार होता है और अगर वास्तव में सभी दल मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं तो काला धन भी बंद हो सकता है, अवैध माइनिंग भी बंद हो सकती है और भ्रष्टाचार भी बंद हो सकता है। ... (व्यवधान) सदन को, सभी दलों को और सभी राज्य सरकारों को तय करना है कि वे काला धन रोकना चाहते हैं या काला धन के समर्थन में खड़े हैं। ... (व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, मैं यहीं से बोलने की अनुमति चाहूंगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा-निर्देश में आज जो ये लोग शोर कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया, क्योंकि ये लोग भी कहीं न कहीं अवैध खदानों में लिप्त थे। ... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के एक खनन मंत्री के रूप में और वहां की जो सरकार आज काम कर रही है, उसी उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों के द्वारा ही वहां के खनन मंत्री पर आरोप लगाए गए, तो क्या माननीय मंत्री जी स्वसंज्ञान लेकर उस मंत्री के खिलाफ कोई सीबीआई जांच के लिए कार्रवाई करेंगे? ... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, माननीय सदस्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं आंकड़े देख रहा था, तो उससे ध्यान में आया कि उत्तर प्रदेश एक विचित्र परिस्थिति में है। ... (व्यवधान) जब कई राज्यों की परिस्थिति देखता हूं तो उत्तर प्रदेश में 6,777 केसेज मिले, जिसमें माइनर मिनरल में अवैध माइनिंग हो रही थी। ... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें लिखकर दिया कि 6,777 केस होने के बावजूद एक भी केस में कोई इल्लीगल मिनरल ओर नहीं निकाला गया है। ... (व्यवधान) यह बड़ी विचित्र परिस्थिति है। अगर 6,777 केस मिले और उनमें शून्य मिनरल माइन हुआ, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही बताते हैं

कि मात्र 6 करोड़ रुपये की अवैध माइनिंग हुई है। यह मानना बहुत मुश्किल है कि 6,777 केस में सिर्फ 6 करोड़ रुपये का ही मिनरल ओर अवैध मिला। एफआईआर शून्य लॉज हुई। यह भी बहुत हैरानी की बात है कि शून्य एफआईआर लॉज हुई और कोर्ट केस भी शून्य फाइल हुए। मैं माननीय सदस्य की बात पर जरूर गौर करूंगा और राज्य सरकार से चर्चा करूंगा कि वह तुरंत इस प्रकार के भ्रष्टाचार, काले धन पर ठोस कदम उठाए और कार्यवाही करे।

(Q. 23)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, आम नागरिक को हवाई यात्रा की आसान सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप हवाई उड़ान के संबंध में प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : जी हां।...(व्यवधान) आम नागरिक को हवाई यात्रा की...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, देश में मौतें हो रही हैं। किसान परेशान हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, आप ये बातें चर्चा के समय बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सरकार ने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए क्या-क्या तैयारी की है? ..(व्यवधान) पटना, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, मोतिहारी और झारखंड...(व्यवधान) यह कहा गया था कि 2500 रुपये में उड़ान होगी।...(व्यवधान) हम इस बारे में सरकार से जवाब मांगते हैं।...(व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU : Madam Speaker, the hon. Member is raising certain things which have nothing to do with the civil aviation sector. ...

(Interruptions)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, 2500 रुपये में उड़ान होगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भागीरथ प्रसाद जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. भागीरथ प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए एक उड़ान योजना बनाई है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में दतिया एक पर्यटक स्थान है और विकासशील क्षेत्र है जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है।...(व्यवधान) वहां भारतीय इतिहास का सम्राट अशोक का सबसे पुराना दस्तावेज उपलब्ध है।...(व्यवधान) वहां सोनागिरी है, रतनगढ़ की माता है, सूर्य मंदिर है, पीताम्बरा पीठ है, मेडिकल कॉलेज खुल गया है और वेटिनरी रिसर्च का नया संस्थान आ रहा है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस उड़ान योजना के अंतर्गत दतिया में कब तक हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी जबकि वहां हवाई पट्टी अच्छी हालत में तैयार है? ..(व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, this whole regional connectivity issue was a commitment of the BJP Government in its election manifesto. ... (*Interruptions*) So, it took us some time to make it a reality and come out with the scheme. The scheme envisages participation of the State Government and participation of the Government of India. ... (*Interruptions*) Together we want to partner and take this forward.... (*Interruptions*) Regional connectivity is essential in a country like India where we have a resplendent heritage spread all over the country.... (*Interruptions*) We have about 70 airports which are active. The rest of it is not covered by the scheduled airlines. So, we have brought out the scheme. We have rolled out a subsidy. ... (*Interruptions*) The idea is that it cannot be a subsidy for eternity. It is a subsidy for a minimum period of time.... (*Interruptions*) It takes about two years to develop a route.

Therefore, the subsidy will hold for a maximum period of three years.... (*Interruptions*) So, the question of prioritization is there. We work with the State Governments....(*Interruptions*) We will work together and make this happen. I think, in the coming January and February months, the first regional connectivity flight will become a reality.... (*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी देश के नागरिकों की हवाई यात्रा के लिए जो संकल्प लिया है ...(*व्यवधान*) उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मेरा एक सुझाव है, ...(*व्यवधान*) गुरु गोविन्द सिंह जी 350वां जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ...(*व्यवधान*) गुरु गोविन्द सिंह जी पटना से चल कर श्री आनंदपुर साहिब आए, श्री आनंदपुर साहिब से नांदेड़ गए। ...(*व्यवधान*) क्या माननीय मंत्री जी यहां कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं, ...(*व्यवधान*) पटना से श्री आनंदपुर साहिब जहां गुरु गोविन्द सिंह जी के बड़े सुपुत्र श्री अजीत सिंह चमकौर में शहीद हुए थे के नाम पर एस.ए.एस नगर मोहाली एयरपोर्ट बना हुआ है। ...(*व्यवधान*) पटना से मोहाली और मोहाली से नांदेड़ साहब सर्किट बनेगा, ...(*व्यवधान*) यह गुरु गोविन्द सिंह जी को ट्रिब्यूट होगी और देश के लोगों को इससे बहुत भला होगा।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, on aviation side, we encourage all pilgrim circuits and tourism circuits, for which purpose we work closely with all the State Governments and also with the Tourism Department. ... (*Interruptions*)

We have a very rich and resplendent heritage. We need to harness this, and we are working on it. ... (*Interruptions*)

SHRI PREM DAS RAI : Thank you, Madam, I must again congratulate the NDA Government for coming up with this wonderful scheme of UDAN and the regional connectivity. ... (*Interruptions*) My specific question is with regard to the Pakyong Airport in Gangtok which needs to be connected in this UDAN scheme. ... (*Interruptions*) I would request the Minister, through you, to tell this House as to when this would be effected and when can the people of India go to the beautiful State of Sikkim, through UDAN.... (*Interruptions*)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: The concerned Airport is getting ready.... (*Interruptions*) As soon as it is ready – we work with the State Government – together we will partner with them. ... (*Interruptions*) We will subsidize this scheme for a limited period of time and open up the splendour of that State.... (*Interruptions*)

Madam, we have a lot of States with a lot of natural beauty. We have to develop tourism. ... (*Interruptions*) There is a lot of disposable income available in the country and we need to harness it to generate employment at all levels, particularly at local levels.... (*Interruptions*) So, we are at it. We want to inform, through you, to the hon. Member that we are at it. ... (*Interruptions*)

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : माननीय अध्यक्ष जी, देश में साईं बाबा सबसे बड़ा संस्थान है। आपने वहां एयरपोर्ट के लिए सारी व्यवस्था की है। अभी वहां पैसे की कोई कमी नहीं है। जिनके पास जितना काला धन है, साईं बाबा की तिजोरी में लाकर डाल दें ताकि वहां जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बन जाए। संस्थान पूरा पैसा देने को तैयार है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां आप कब एयरपोर्ट बना रहे हैं? ... (व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, the Shirdi Airport is in an advanced stage and the State Government is at it. ... (*Interruptions*) This is one of the few airports where before the airport is ready, there is a demand among the airlines to have connectivity there.... (*Interruptions*) So, we hope that this will happen soon

and we will be able to connect Shirdi so that the pilgrims can reach there and pay their respects to the hon. sage. ... (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उड़ान योजना में कब तक देशी परिचालन शुरू करेंगे? द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में एक हवाई पट्टी का निर्माण हुआ था और वहां परिचालन भी यदा-कदा होता है, लेकिन नियमित हवाई सेवाएं नहीं चल रही हैं। उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए जो योजना बनाई जा रही है, मैं माननीय मंत्री से मांग करता हूँ कि उसमें सतना को भी शामिल किया जाए। ... (व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Our country has more than 400 airstrips which are unconnected.... (*Interruptions*) That is why, we partner with the State Governments to make this happen.... (*Interruptions*) As I have mentioned before, we have a rich and resplendent heritage... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats if you want discussion. You have to go there to have discussion.

... (*Interruptions*)

(Q. 24)

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से दिया है। सरकार द्वारा यथा परिकल्पित 2022 तक जैसी माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा है - सबका साथ, सबका विकास, सबको आवास, इस योजना में पैसा तो दिया गया है लेकिन प्रदेशों की गति कछुए की चाल से चल रही है, आवास बन नहीं पा रहे हैं। आपने डिटेल तो दी है कि इस प्रदेश को इतना पैसा दिया गया है, लेकिन पैसे का सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ, स्थिति जस की तस है। जो पैसा दिया जाता है, उसका प्रदेशों में सही उपयोग हो, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि सरकार की इसके लिए क्या योजना है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सदस्य प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूर्व में जो योजना थी, उस योजना के अंतर्गत 408.93 लाख मकान स्वीकृत किए गए, जिसमें 373.93 लाख मकान पूर्ण हुए हैं और अपूर्ण 33 लाख मकान हैं जिनमें 17 लाख पूरे कर लिए गए हैं और 18 लाख अभी पूरे होने हैं। आप सबको पता है कि पूर्व आवास योजना में कई प्रकार की विसंगतियां थीं। इसमें व्यक्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं थी, आकार कम था और जिस प्रकार की सुविधाएं सामान्य तौर पर आवास में होनी चाहिए, उसका भी अभाव था और आवास के लिए कोई टेक्नीकल सपोर्ट नहीं था, हितग्राही जैसा बनाना चाहता था, बना देता था। उस मकान को हम टिकाऊ मकान नहीं कह सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबको आवास की बात कही, 23 मार्च 2016 को मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी लोगों को आवास मिल जाए, इसे सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

महोदया, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2019 तक, इन तीन वर्षों में हम लोग एक करोड़ मकान देने वाले हैं।...(व्यवधान) इस योजना का शुभारम्भ 20 तारीख को आगरा में माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। ...(व्यवधान) इसके बाद यह योजना प्रारम्भ हो जाएगी। ...(व्यवधान) इस योजना में पहले जो मकान का आकार 20 मीटर था, उसे बढ़ाकर 25 मीटर किया गया है। ...(व्यवधान) पहले 70,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, अब हम लोग 1,20,000 रुपये मैदानी क्षेत्र में दे रहे हैं और 1,30,000 रुपये पर्वतीय क्षेत्र एवं नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के लिए दे रहे हैं।...(व्यवधान) इसके साथ ही, उस घर में शौचालय भी हो, इसके लिए उसे 12,000 रुपये स्वच्छता अभियान से दे रहे हैं और मनरेगा में जो 90 से 95 दिन की मजदूरी होती है, उसके हिसाब से 18,000 रुपये भी दे रहे हैं। ...(व्यवधान) कुल मिलाकर एक आवास के लिए 1,50,000 रुपये तक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान हम लोगों ने किया

है।... (व्यवधान) 20 नवम्बर को प्रधानमंत्री जी इस योजना का शुभारम्भ कर देंगे।... (व्यवधान) इस योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपये राज्यों को दिए जा चुके हैं, सारी मीटिंग्स हो गयी हैं, राज-मिस्त्रियों का प्रशिक्षण हो गया है, तकनीकी सपोर्ट हम दे रहे हैं।... (व्यवधान) इस हिसाब से जब यह योजना प्रारम्भ होगी तो हम इस वित्तीय वर्ष में 33 लाख मकान बनाएंगे और आने वाले दो वित्तीय वर्षों में 33 लाख 50 हजार मकान प्रति वर्ष बनाएंगे। ... (व्यवधान) इस तरह से वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकान पूरे करने का सरकार का इरादा है, जिसको निश्चित रूप से हम पूरा कर लेंगे। ... (व्यवधान)

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के उत्तर से एक प्रश्न निकलकर आता है।... (व्यवधान) मुझे जो डिटेल्ड जानकारी दी गयी है, उसमें वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 की जानकारी दी गयी है।... (व्यवधान) आप अपने उत्तर में कहते हैं कि वर्ष 2017 से लेकर 2018-19 तक, तीन वर्षों में एक करोड़ मकान बनाने की परिकल्पना की गयी है। ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि वर्ष 2016-17 की डिटेल्स आपने नहीं दी हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं कि वर्ष 2016-17 में इन मकानों को बनाने के लिए कितने पैसे रिलीज किए गए हैं? ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को जो जानकारी दी गयी है, उसमें पूर्व की भी जानकारी है। ... (व्यवधान) इस वर्ष यह योजना प्रारम्भ होने वाली है। इस योजना में लगभग तीन वर्षों में, वर्ष 2019 तक 12 लाख मकान उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। ... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित रूप से देश के लिए बड़ी आशा का एक केंद्र है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, इसके दिशा-निर्देशों को परिवर्तित करने का सरकार का कोई विचार है? ... (व्यवधान) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, सदस्य ने ठीक ही कहा है। ... (व्यवधान) पूर्व में जो इंदिरा आवास योजना थी, उसमें दिशा-निर्देश अलग प्रकार के थे और उसकी तमाम विसंगतियों के कारण उचित परिणाम नहीं आ पाया। ... (व्यवधान) अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना आरम्भ हो रही है, निश्चित रूप से उसके लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।... (व्यवधान) इन दिशा-निर्देशों में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी गयी है।... (व्यवधान) ग्राम सभा के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। ... (व्यवधान) सामाजिक-आर्थिक जनगणना, जो वर्ष 2011 की है, उस सूची में से चयन की प्रक्रिया होगी। ... (व्यवधान) इसमें किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत न हो, किसी प्रकार के बिचौलिए न हों और पूरा पैसा हितग्राही को मिले, इसके लिए डीबीटी के माध्यम से सब के बैंक एकाउण्ट में पैसा पहुंचाया जाएगा।... (व्यवधान) इस योजना की गुणवत्ता ठीक हो, ठीक प्रकार से मकान बन पाएं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो साइक्लोन आता रहता है,

बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।...(व्यवधान) बाढ़ से ऐसे मकान बच सकें और साइक्लोन को भी वे झेल सकें, इस दृष्टि से, टेक्नीकल सपोर्ट लेकर, 18 राज्यों के अलग-अलग मॉडल्स बने हैं। ... (व्यवधान) उन पर आईआईटी और यूएनडीपी के माध्यम से, परीक्षण कराया गया है और मॉड्यूल को फाइनल किया गया है।...(व्यवधान) लोग उनमें से कोई भी मॉड्यूल अख्तियार कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और इस योजना के माध्यम से हमारी कोशिश है कि किसी प्रकार की अमानत में ख्यानत न हो।...(व्यवधान) इस योजना में हम लोगों ने 'आवास ऐप' बनाया है।...(व्यवधान) वर्तमान में हितग्राही की जो स्थिति है, उसको भी उसमें अपलोड किया जायेगा।...(व्यवधान) जब मकान बनेगा तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण को भी लोड किया जायेगा।...(व्यवधान) इसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो, इसके लिए डिजिटल इंडिया का सपोर्ट दिया जा रहा है और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 25, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल।

(Q. 25)...(व्यवधान)**माननीय अध्यक्ष :** इससे वे लोग अच्छे हैं, जो शांति से लाइन में खड़े हैं।...(व्यवधान)**माननीय अध्यक्ष :** यह क्या हो रहा है? आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले सरकार को बधाई दूंगा।...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प स्वच्छ भारत का है। ...(व्यवधान) लेकिन, जो उत्तर आया है और जो परिस्थिति देश के सामने है, उसे मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ।...(व्यवधान) वर्ष 2002 से लेकर अब तक, पहले शौचालय बनाने के लिए 2000 रु. मिलता था, फिर 6000 रु. मिलता था। ...(व्यवधान) आज आपने उसे बढ़ा कर 12000 रु. से ज्यादा किया है। ...(व्यवधान) लेकिन, जो 2000 रु. में टायलेट्स बनने थे, वे पोर्टल पर तो दिखा रहे हैं कि शौचालय बन गये हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ शौचालय नहीं हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं यह मानता हूँ कि जो आंकड़े सरकार के पास आ रहे हैं, वह त्रुटिपूर्ण है।...(व्यवधान) इसलिए हम जो लक्ष्य वर्ष 2019 में प्राप्त करना चाहते हैं, अगर पोर्टल पर मेरे पास वर्ष 2002 से शौचालय बताया जा रहा है, लेकिन मेरे पास वह नहीं है।...(व्यवधान) वे उपयोग नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) सत्यापन करने पर पाया जा रहा है कि वे वहाँ पर नहीं हैं। ...(व्यवधान) इस विसंगति को दूर करके वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार की क्या योजना है? ...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसमें वजन मानता हूँ।...(व्यवधान) क्योंकि, जब कम सहायता दी जाती थी, उस समय भी शौचालय बने थे, लेकिन उन शौचालयों का पूरा उपयोग नहीं होना।...(व्यवधान)

दूसरा, संभव यह है कि कहीं उस प्रकार के शौचालय उस वित्तीय सहायता से उस गुणवत्ता के नहीं बने और उनका उपयोग नहीं हो पा रहा हो।...(व्यवधान) लेकिन, सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि जब हम लोगों ने यह लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2019 तक सारे देश को ओ.डी.एफ. कर देंगे।...(व्यवधान) अगर पिछले वाले लक्ष्य के अंतर्गत जो जानकारी केन्द्र सरकार के पास है, अगर उस जानकारी में कोई अपूर्णता है, तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं होगी।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को हम लोगों ने बहुत बल दे कर,

इसकी जानकारी देने के लिए कहा है।... (व्यवधान) इसका स्पॉट वेरिफिकेशन हो सके, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई क्षेत्र आये तो जरूर हमें उसके बारे में लिखें, हम उस क्षेत्र का भी निरीक्षण करायेंगे और अगर इस प्रकार की कोई अपूर्णता है तो उस अपूर्णता को दूर करेंगे।... (व्यवधान) अनेक स्थानों पर इस प्रकार की दिक्कतें आयी थीं। ... (व्यवधान) उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोगों ने 'मनरेगा' से राशि उपयोग करके, उसको पूरा किया जाये, यह सुनिश्चित किया है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, अभी ग्रामीण और शहरी दोनों स्वच्छता अभियान पूरे जोर-शोर के साथ चल रहा है।... (व्यवधान) मुझे प्रसन्नता है कि इस अभियान के अंतर्गत अभी तीन राज्यों ने अपने-आपको ओ.डी.एफ. घोषित किया है।... (व्यवधान) 61 जिलों ने अपने-आपको ओ.डी.एफ. घोषित किया है।... (व्यवधान) 655 विकास खंडों ने अपने-आपको ओ.डी.एफ. घोषित किया है। ... (व्यवधान) 52,260 ग्राम पंचायतों ने अपने-आपको ओ.डी.एफ. घोषित किया है।... (व्यवधान) 1,16,994 गांव अपने-आपको ओ.डी.एफ. घोषित कर चुके हैं।... (व्यवधान) आई.ई.सी. के माध्यम से हमारी लगतार इस बात के लिए कोशिश है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आये। ... (व्यवधान) यह ओ.डी.एफ. सिर्फ कहने के लिए ओ.डी.एफ. न हो, अगर शौचालय बन जाते हैं तो शौचालय का उपयोग करने की मानसिकता आम व्यक्ति में आये।... (व्यवधान) इस उद्देश्य से सरकार काम कर रही है।... (व्यवधान)

12.00 hours

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार और मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) लेकिन, वास्तव में ओ.डी.एफ. की जो घोषणा हुई है, वह तथ्यात्मक है।... (व्यवधान) मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पहाड़ और पठार, जहां पर ग्रैविटी से पानी नहीं है, या जैसे बुंदलेखंड है, जहां पानी की कमी है।... (व्यवधान) वहां पर पानी से शौचालय साफ नहीं हो सकते हैं। ऐसे स्थानों के लिए क्या आप जैविक शौचालयों के विकल्प पर विचार करेंगे? ... (व्यवधान) इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या आप लागत मूल्य को रिवाइज़ करेंगे, जहां पठार और पहाड़ हैं और जहां पानी की कमी है, ऐसी जगहों के लिए क्या सरकार धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी? ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की बात व्यवहारिक है, क्योंकि बहुत सारे पठारी क्षेत्र हैं, जहां निश्चित रूप से इतनी राशि में शौचालय का निर्माण नहीं हो सकता है।... (व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूँ और आम जनता को भी कहना चाहता हूँ कि यह जो 12 हजार रुपये हैं, यह शौचालय बनाने की राशि नहीं है...(व्यवधान) बल्कि लोग शौचालय बनाने की ओर उन्मुख हों, इसके लिए सरकार की वित्तीय सहायता है।...(व्यवधान) लेकिन पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में ठीक प्रकार से शौचालय बन सकें, इसके लिए क्या तकनीकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं।...(व्यवधान)

12.02 hours**RESIGNATION BY MEMBER**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री तारिक हामिद कर्रा ने लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैंने उनका त्याग पत्र 17 अक्टूबर, 2016 को स्वीकृत कर लिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे श्री मल्लिकार्जुन खड्गे, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्री कमल नाथ, श्री जयप्रकाश नारायण यादव, प्रो. सौगत राय, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री राजेश रंजन, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के.एन. रामचन्द्रन, श्री मोहम्मद सलीम, श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री पी. करुणाकरन, श्री असादुद्दीन ओवैसी, श्री वीरप्पा मोइली, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, डॉ. ए. सम्पत, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री दुष्यन्त चौटाला और श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी से विभिन्न विषयों पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह मामला महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा भी होगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अगर शांति से बैठेंगे तो चर्चा भी अवश्य होगी।

..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसकी हम इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन कार्य-स्थगन करके कोई चर्चा होनी चाहिए, ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, इसलिए सभी कार्य-स्थगन प्रस्तावों को अनुमति नहीं दी जाती है।

...(व्यवधान)

12.04 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid. Shri Piyush Goyal

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT- 5310/16/16]

- (2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT- 5311/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Enemy Property (Amendment and Validation) Fourth Ordinance, 2016 promulgated by the President on 28th August, 2016 (No. 7 of 2016) under article 123(2) (a) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT- 5312/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Shipping Corporation of India Limited and the Ministry of Shipping for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT- 5313/16/16]

- (2) A copy of the Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 824(E) in Gazette of India dated 26th August, 2016 under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT- 5314/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Airports Authority of India Limited and the Chandigarh International Airport Limited for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT- 5315/16/16]

- (2) A copy of the Airport Economic Regulatory Authority of India (Form of Annual Statement of Accounts, Budget and Annual Report) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.797(E) in Gazette of India dated 16th August, 2016 under Section 53 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT- 5316/16/16]

... (*Interruptions*)

12.04 ¼ hours**ASSENT TO BILLS**

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I lay on the Table the following five Bills passed by the Houses of Parliament during the Ninth Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 19th July, 2016:-

- (i) The Indian Trusts (Amendment) Bill, 2016;
- (ii) The Child Labour (Prohibition and Regulation) (Amendment) Bill, 2016;
- (iii) The Appropriation (No. 3) Bill, 2016;
- (iv) The Constitution (One Hundred and First Amendment) Bill, 2016; and
- (v) The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2016.

I also lay on the Table one copy each, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha, of following ten Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

- (i) The Regional Centre for Biotechnology Bill, 2016;
- (ii) The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016;
- (iii) The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016;
- (iv) The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2016;
- (v) The Dentists (Amendment) Bill, 2016;
- (vi) The Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2016;
- (vii) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Bill, 2016;
- (viii) The *Benami* Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016;

- (ix) The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debt Laws and Other Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016; and
- (x) The Central Agricultural University (Amendment) Bill, 2016.

[Placed in Library, See No. LT- 5317/16/16]

... (*Interruptions*)

12.04 ½ hours**COMMITTEE ON MPLADS (LOK SABHA)
Action Taken Statement**

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) of Final Action Taken Replies of the Government on the recommendations contained in the 3rd Report (16th Lok Sabha) of Committee on MPLADS regarding Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 1st Report (16th Lok Sabha) on the proposals received from the Ministry of Statistics and Programme Implementation for Modifications in the MPLADS guidelines for the purchase of animal ambulances and for the construction of more than one community centre in the same village/local areas.

... (*Interruptions*)

12.04 ¾ hours***MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE
ON CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016 –
EXTENSION OF TIME**

SHRI SATYAPAL SINGH (SAMBHAL): Madam, I beg to move the following:-

“That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 upto the First day of the last week of the Budget Session (2017) of Parliament.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 upto the First day of the last week of the Budget Session (2017) of Parliament.”

The motion was adopted.

... (Interruptions)

* Memorandum giving reasons for extension of time circulated separately

HON. SPEAKER: Now 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: If you want discussion, I am ready to give discussion. You please go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am ready to give discussion. Discussion can be there. लेकिन इस प्रकार से मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे सकती। I am sorry. चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले आप बोलिये कि ये यहां से जाएं। पहले अपनी सीट पर तो जाएं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे(गुलबर्गा) : फिर क्वेश्चन ऑवर कैसे चला? अगर यह नहीं हो सकता तो वह कैसे चला। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह चलेगा, लेकिन अलग से नहीं कर सकते, आई एम सॉरी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपसे विनती करता हूं कि रूल 56 में हम चर्चा चाहते हैं। हमने एडजर्नमेंट मोशन इसलिए मूव किया है कि सदन में सबकी राय क्या होगी, इसके ऊपर वोटिंग होगी, इसीलिए हम एडजर्नमेंट मोशन चाहते हैं। ... (व्यवधान) रूल 193 में यदि आप चर्चा करेंगे तो वह ठीक नहीं है। मैडम स्पीकर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि चर्चा बाद में होगी, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसे रूल 56 में लेने की आवश्यकता है, रूल 193 में नहीं।... (व्यवधान) यह बहुत अर्जेन्ट है, इसकी पब्लिक इम्पोर्टेंस है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात तो यह है कि मैं इस प्रकार से अलाऊ नहीं कर सकती। I am ready for a discussion. आप लोग बैठकर तय करो, मैं डिस्कशन कराने के लिए तैयार हूं। आप एडजर्नमेंट चाहो, आप नियम 193 के तहत चाहो, बैठ करके चर्चा करो, अगर सभी लोगों की मर्जी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। But not like this. I am sorry.

The House stands adjourned up to 12.30 hours.

12.07 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past
Twelve of the Clock.*

(Hon. Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters Under Rule 377 shall be laid on the table of the House. The Members who have been permitted to raise Matters Under Rule 377 today, and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

... (Interruptions)

* Treated as laid on the Table.

**(i) Need to restart Coal Handling Plant, Kalyani in
Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कोल इंडिया के सी.सी.एल. के दोरी परिक्षेत्र के कल्याणी परियोजना में वर्ष 1985-86 में सी.एच.पी. (कोल हैंडलिंग प्लांट) की स्थापना पावर प्लांटों में क्रश कोयला को रेपिड लोडिंग सिस्टम के तहत भेजने के उद्देश्य से हुआ था, जो वर्ष 1995 में पूरा हुआ और 23 मार्च, 1995 से पावर प्लांटों में कोयले की आपूर्ति की जाने लगी। इस प्लांट में चीरूडीह श्रमिक सहयोग समिति नामक को-ऑपरेटिव के अधीन 140 मजदूर लगातार स्थायी प्रकृति के काम में कार्यरत हैं। उक्त मजदूरों को भारत सरकार मिनिमम वेजेज के तहत मासिक वेतन का भुगतान हाई पावर कमेटी की अनुशंसा के अनुसार होता रहा था। इन मजदूरों को फरवरी 2016 से वेतन नहीं मिल रहा है। इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पिछले 24 मई, 2016 से सभी मजदूरों की हाजिरी बिना पूर्व सूचना के बंद कर दी गयी और प्लांट को बंद कर दिया है। जबकि उक्त मजदूरों का स्थायीकरण तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए मामला झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2002 में स्थाईकरण हेतु इंक्वायरी भी की गई थी। मजदूरों एवं यूनियनों द्वारा इसे चालू करने की मांग की जा रही है, जिस पर सी.सी.एल. मुख्यालय की टीम तीन बार आकर जांच कर गयी है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सी.एच.पी. में 200 एम.एम. का कोयला क्रश किया जाना था जिसे बाद में प्रबंधन द्वारा माइनस 100 एम.एम. का कर दिया गया। मजदूरों के अनुसार प्लांट को अभी भी चालू किया जा सकता है। अभी प्लांट के हॉपर में 2300 टन और ग्राउण्ड बैंकर में लगभग 10 हजार टन कोयला उपलब्ध है। अधिक समय से कोयला रहने पर हॉपर में आग लगने की संभावना है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि कल्याणी सी.एच.पी. को राष्ट्रहित एवं मजदूर हित में मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान कराते हुए प्लांट को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए।

(ii) Need to create an All India Judicial Service

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): The creation of an All India Judicial Service (AIJS) was favoured by the Chief Justices Conferences held in 1961, 1963 and 1965. The 42nd Constitution Amendment Act was passed for this in 1976, but was not given effect to. The Hon'ble Court ordered in 1991 that an All India Judicial Service should be set up and the Union of India should take appropriate steps in this regard. A Constitution Bench of the Supreme Court held that a Constitutional Body like High Courts cannot be believed to oblivious to the need for a scheme of reservation. A similar judgement was again passed by the Hon'ble Supreme Court in 2016. I request the Government to create an All India Judicial Service without any further delay which fulfils Constitutional obligations of reservation and includes SCs/STs, Minorities and Women who are not presently adequately represented in the judiciary.

(iii) Need to establish a girl's degree college in Siwan, Bihar

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान में महिला महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। जिला मुख्यालय में एक मात्र महिला महाविद्यालय होने के कारण छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर केन्द्र सरकार एक और महिला महाविद्यालय खोलने का आदेश दे दे तो मेरे क्षेत्र की हजारों छात्राओं को लाभ मिलेगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सीवान में केन्द्रीय सहायता से एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि मेरे क्षेत्र की छात्राओं को लाभ मिल सके।

(iv) Need to provide Rajasthan its allocated share of Yamuna river water as per agreement

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : यमुना बेसिन राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र शासित दिल्ली के मध्य दिनांक 12.5.1994 को हुए समझौते के तहत 1.119 वी.सी.एम. यमुना जल का आबंटन हुआ था। यमुना जल आबंटन हेतु यमुना नदी मंडल को अधिकृत किया गया। अपर यमुना नदी मंडल राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल ताजेवाला हैडवर्क्स से एवं 1281 क्यूसेक यमुना जल ओखला हैडवर्क्स से आबंटित किया गया था। हरियाणा के ताजेवाला हैडवर्क्स पर यमुना जल आबंटन बाबत असहमति के कारण इस प्रकरण को अपर यमुना रिव्यू कमेटी को भेज दिया गया। अपर यमुना की बैठकों में जल को राजस्थान तक पहुंचाने की कार्य प्रणाली पर सहमति नहीं बनी। अपर यमुना कमेटी की पांचवी मीटिंग में अध्यक्ष ने राजस्थान का हिस्सा 1917 क्यूसेक यमुना जल ताजेवाला हैडवर्क्स से पश्चिम यमुना नहर द्वारा ले जाने का निर्णय दिया, लेकिन हरियाणा इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने अपने न्यायपूर्ण हिस्से के पानी के लिए भारत सरकार से मांग की है, लेकिन अभी तक हरियाणा इससे सहमत नहीं हुआ है।

(v) Need to formulate a policy for proper waste management system in Patna, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : मई-जून 2016 में डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा विश्व के 103 देशों के लगभग 3000 शहरों में एक सर्वे कराया गया, जिसके अनुसार पटना विश्व का छठा सबसे प्रदूषित शहर है। इस सर्वे के अनुसार दिल्ली सहित देश के अन्य 10 शहर भी टॉप की श्रेणी में शामिल हैं जो कि चिंता का विषय है। पटना जैसे शहर में प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण निर्माण कार्य, खुले स्थानों में बालू का रखा जाना एवं ऑटों में मिलावटी तेलों का प्रयोग है। पटना में अब तक सी.एन.जी. की भी व्यवस्था नहीं है। शहर में पेड़-पौधों की जगह कंक्रीट के मकानों की अधिकता है। इसके अलावा पटना की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि यहाँ कचरा प्रबंधन है ही नहीं। कई बार कचरा सड़क पर पसरा दिखता है। ये कचरा हवा में घुलता है और तरह-तरह की बीमारियाँ फैलाता है। नगर-निगम द्वारा कचरे के ठोस निपटान पर ज़ोर देने की आवश्यकता है। जिसके तहत घर-घर से कचरों का कलेक्शन कर उसे अलग करके रिसाइकिल किया जाना चाहिए। देश के कई बड़े-बड़े शहरों में कूड़े के माध्यम से बिजली पैदा करने की तकनीक को अपनाए जाने पर गम्भीरता से विचार किए जा रहे हैं। इस कार्य में पटना शहर को भी शामिल किया जाए।

अतः सरकार से अनुरोध है कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर कचरा निपटान ठोस नीति बनाकर उसे कठोरता से लागू किया जाए, जिससे पटना शहर को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके।

**(vi) Need to provide stoppage of all express and mail trains
at Adityapur railway station in Singhbhum Palriamentary
Constituency, Jharkhand**

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : नियम 377 के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में आदित्यपुर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस रेल सेवा एवं मेल रेल गाड़ियों का ठहराव नहीं है। जबकि आदित्यपुर पूरे एशिया का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर 1000 से अधिक लघु उद्योग कार्यरत हैं और 300 के करीब का निर्माण हो रहा है। यह क्षेत्र बड़ी तेजी के साथ औद्योगिक रूप से विकसित हो रहा है और इस रेलवे स्टेशन पर लोगों का आवागमन समय के साथ बढ़ रहा है। आदित्यपुर में रोजी-रोटी कमाने के लिए कई मजदूर ओडिसा, प. बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक ओर तो हम औद्योगिक विकास पर जोर दे रहे हैं, दूसरी ओर इस औद्योगिक नगरी वाले आदित्यपुर में एक भी एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ी का ठहराव नहीं है। जिससे इस क्षेत्र का विकास बड़ी धीमी गति से हो रहा है। आदित्यपुर का औद्योगिक विकास द्रुत गति से हो सकेगा।

सरकार से अनुरोध है कि आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर यहाँ से गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस, मेल रेल गाड़ियों का ठहराव दिया जाए।

(vii) Need to set up Marine Immigration check posts as sea ports in Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : गृह विभाग के 2013 के नियमों के मुताबिक दाउज (एम.एस.वी.) (समुद्री जहाजों) से आते-जाते आवागमन करते देशी-विदेशी नागरिकों की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की जांच की कार्यवाही के तहत इमिग्रेशन चेक पोस्ट का प्रारंभ करने का तय किया गया है। इस नियम के मुताबिक जिस प्रकार एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की कार्यवाही होती है। इसी प्रकार दाउज (एम.एस.वी.) में विदेश से आवागमन करते क्रू-मैम्बर्स की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की कार्यवाही करने के लिए सभी 8 मरीन पुलिस स्टेशन के तहत प्रारंभ करने की सूचना दी गई है।

गुजरात सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुमोदन देने के लिए 2013 में दरखास्त भेजी है लेकिन मंजूरी आज तक नहीं मिली है। गृह मंत्रालय द्वारा उनकी कार्यवाही की नोटिंग के मुताबिक 11 बंदरगाहों पर इमिग्रेशन सेट आप करना तय हुआ है लेकिन 11 इमिग्रेशन चेक पोस्ट का फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। मेरी मांग है कि इसकी मंजूरी दी जाये।

**(viii) Need to develop Ramayana tourist circuit and also to set up a
Ramayana heritage complex at Chitrakoot**

श्री गणेश सिंह (सतना) : भारत सरकार ने धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए 12 टूरिस्ट सर्किट की घोषणा की थी, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या (उ.प्र.) के वनवास काल के महत्वपूर्ण स्थान चित्रकूट (म.प्र.) सहित 84 कोशी परिक्रमा जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, शामिल है। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन रामायण महाकाव्य में लिपिबद्ध है। भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष 6 माह चित्रकूट में राजा मृङ्गोन्द्र से अनुमति लेकर चित्रकूट में निवास किया था। जहां देश-विदेश के लाखों तीर्थ-यात्री आते-जाते हैं तथा इन स्थानों का अदभुत आध्यात्मिक महत्व बना हुआ है। इन स्थानों को विकसित करने हेतु तथा इसे मानचित्र में लाने हेतु केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने रामायण टूरिस्ट सर्किट के रूप में घोषित किया था। किन्तु अभी तक उसकी व्यवस्थित रूप-रेखा सामने नहीं आई है। मैंने चित्रकूट सहित 84 कोशी परिक्रमा के उन स्थानों को शामिल करते हुए उन्हें विकसित करने का प्रस्ताव दिया हुआ है। किन्तु इस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई। मुझे अवगत नहीं कराया गया है। चित्रकूट में रामायण का ऐतिहासिक परिसर बनाना अत्यन्त आवश्यक है। यह पर्यटन एवं सांस्कृतिक के दृष्टिकोण से भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। मैंने अपने चित्रकूट में इस हेतु जमीन भी आरक्षित कराई है, और उसका एक प्रस्ताव भी पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत किया है, जिसकी अविलम्ब स्वीकृति चाहता हूँ। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द इसे विकसित करने के लिए निर्णय करने का कष्ट करें।

(ix) Need for police reforms in the country

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : भारत में पुलिस सुधार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसका कारण यह है कि देश में अधिकांश राज्यों की पुलिस आज भी वर्ष 1861 में बने पुलिस अधिनियम के अनुसार ही कार्य कर रही है। आज आज़ादी के 67 वर्ष बीत चुके हैं तथा आवश्यकताएँ काफी बदल चुकी हैं किंतु पुलिस व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया है। गुवाहाटी में आयोजित किए गए डी.जी.पी. के 49वें वार्षिक सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने पुलिस को स्मार्ट बनाने की बात कही। उनके कथन का तात्पर्य यह था कि पुलिस को सख्त परंतु संवेदनशील, आधुनिक और गतिशील चुस्त और जवाबदेह विश्वसनीय और जिम्मेदार तथा प्रशिक्षित और तकनीकयुक्त होना चाहिए किन्तु अभी तक पुलिस को स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए संयुक्त रूप से कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में किये जा रहे सकारात्मक प्रयास से मुझे अवगत कराया जाये।

**(x) Need to open a Kendriya Vidyalaya or Sainik School in Jalaun
Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh**

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जालौन गरौठा भोगनीपुर में बहुत सारे केन्द्रीय कर्मचारियों के परिवार रहते हैं। सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि जो केन्द्रीय कर्मचारी मेरे संसदीय क्षेत्र में निवास करते हैं उनमें विशेष रूप से देश सेवा कर रहे सैनिकों की संख्या अधिक है हमारे यहाँ जितने भी सैनिकों के परिवार रहते हैं उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कोई भी उच्च स्तरीय विद्यालय नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद मेरे संसदीय क्षेत्र में न तो कोई भी केन्द्रीय विद्यालय है और न ही कोई सेंट्रल युनिवर्सिटी। मैं हमेशा से अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के विकास की माँग करता रहा हूँ। अतः मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय अथवा एक सैनिक स्कूल खोला जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के सैनिकों के परिवारों को भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो सके।

(xi) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Amreli district, Gujarat

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिला अमरेली में वर्तमान में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जिसके परिणामस्वरूप छोटे-छोटे बच्चों को काफी दूर अन्य जिलों के विद्यालयों में शिक्षा अर्जन करने जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों की जरूरत एवं सहूलियत को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के साथ-साथ कई बार पत्र व्यवहार भी किया गया है। अमरेली जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक जमीन मेरे द्वारा उपलब्ध कराये जाने के बारे में सूचित करते हुए जिलाधिकारी, अमरेली द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अनुरोध किया गया था परंतु केन्द्रीय विद्यालय के संयुक्त आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी अमरेली को सूचित किया गया है कि अमरेली जिला मुख्यालय के अगल-बगल में जो 10 एकड़ भूमि चाहिए, वह उपलब्ध नहीं है इसलिए अमरेली जिला के सावरकुंडला तालुका के हाइवे नं. 8 गांव चरखरिया के पास 10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो रही है तथा संबंधित विभाग द्वारा दो बार सर्वेक्षण भी हो चुका है जो सावरकुंडला तालुका से तीन कि.मी. की दूरी पर है। केन्द्र के नियम के अनुसार स्कूल तैयार नहीं होने तक एक अस्थाई भवन चाहिए जो एक एन.जी.ओ. के द्वारा 20 कमरे का भवन एक साल तक बिना किराये पर विद्यालय हेतु देने के लिए तैयार है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनहित में अमरेली, गुजरात में 'स्पेशल केस' के तौर पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के नियमों में भी कुछ तब्दीली करने का कष्ट करें जिससे अमरेली जिले के बच्चों को शिक्षा अर्जन करने के लिए दूर जिलों के विद्यालयों पर निर्भर न रहना पड़े।

(xii) Need to provide irrigation facilities in tribal areas of Maharashtra particularly in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency in the State

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर्) : देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कृषि उपज हेतु वन भूमि का आवंटन किया गया है, लेकिन उनके लिए भूमि के सिंचन हेतु जल की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, जिस कारण जल के अभाव में आदिवासी लोग अपनी भूमि को कृषि उपज के लिए उपयोग में न ला पाने के कारण बेकारी की स्थिति में है। जब तक आदिवासी लोगों को आवंटित की गई भूमि के सिंचन हेतु जल की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, तब तक वह भूमि उनके किसी उपयोग की नहीं है।

इस संबंध में यह बताना भी उचित होगा कि आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों का अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी गढ़चिरोली-चिमुर् संसदीय क्षेत्र में आवंटित की गई भूमि के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम तैयार करके भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित लोग केन्द्रीय योजना से लाभान्वित होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

(xiii) Need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ की योजना आशा बहुओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू है, जिसके परिणामस्वरूप मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। पूरे देश में लगभग आठ लाख आशा बहुएं जच्चा एवं बच्चा की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल ले जाकर प्रसव से पूर्व कम-से-कम तीन बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कार्य किया जाता है। उसके उपरान्त सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अस्पताल ले जाती हैं। आशा बहुओं द्वारा जननी शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को जिम्मेदारी से निभाने के बावजूद मात्र 600 रूपए प्रति केस अनुमन्य है। वह भी उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण उनके समक्ष काफी गम्भीर संकट पैदा हो गया है। जबकि आशा बहुओं के द्वारा लगातार प्रोत्साहन राशि की जगह पर 3000 रूपए प्रति माह मानदेय की माँग को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इनकी समस्याओं के निदान के लिए इन लोगों ने कई बार जन्त-मन्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया। अतः भारत सरकार से इस मामले पर तुरंत कार्यवाही हेतु अनुरोध है।

(xiv) Need to construct an underpass and service line on Toll Tax Booth on National Highway No. 26 in Damoh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : मेरे संसदीय क्षेत्र दमोह की देवरी विधान सभा में गौरझामर, महाराजपुर, देवरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-26 में दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि इस स्वर्णिम उत्तर-दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडर ब्रिज का निर्माण करा दिया जाता है, तो दुर्घटनाओं पर रोकथाम लग जाएगी। दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए शीघ्र अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जाए।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-26 में स्थित टोल टैक्स बूथ पर सर्विस लाईन न होने से एम्बुलेंस व जनप्रतिनिधियों को असुविधा होती है। इसलिए उक्त मार्ग पर सर्विस लाईन बनाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(xv) Need to protect and preserve the backwaters of Kuttanad, Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Kuttanad region in Kerala is the major contributor of rice production in the state and despite located beneath sea level, the region is rich in rivers, lakes and streams that form the supply of water for consumption and agro-irrigation. The agrarian community of Kuttanad region is facing a complete rout in rice production and farming as rivers and lakes are choked by a disastrous growth of water hyacinth and other invasive alien species. These plants have polluted the entire river system of upper Kuttanad region, turning the river water highly toxic by blocking penetration of sunlight. Resultantly, the water in Kuttanad region is unsuitable for agriculture and tourism industry is also severely affected as navigation of boats become difficult due to large growth of these plants. Any solution to this issue lies within the functional perimeter of the Ministries for Agriculture and Farmers Welfare, Drinking Water and Sanitation and Health and Family Welfare and I request an inter-ministerial committee be immediately formed to devise an action plan. I would further add that a vision plan to protect and preserve the backwaters of Kuttanad be declared a national priority by the authority of inland waterways.

(xvi) Need to review restrictions imposed on construction activities by CRZ norms

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I would like to point out the hardships suffered by poor fishermen communities living in the coastal belt in the country particularly in Kerala because of the heavy restrictions imposed over any type of construction activities based on CRZ norms. The clauses of the norms have created many hardships to the lives of poor fishermen particularly in the coastal belt of Kerala. The CRZ regulation restricts building activities and of fisheries-related infrastructural facilities also. This affects the livelihood of fishermen. They also even face trouble for making alteration to their houses. Government had assured earlier to make amendments to CRZ norms because of these practical hardships. However, till now no efforts have been made in this regard. I would request the Government to take remedial steps in this regard.

(xvii) Need to resolve Cauvery Water Dispute

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): The sharing of the Cauvery Water since 1974 has been a bone of contention primarily between the States of Karnataka and Tamil Nadu. The Cauvery Water Disputes Tribunal passed its unanimous Final Award in the year 2007 assessing the total Cauvery Water availability in the basin at 740 TMC and it allocated 409 TMC to Tamil Nadu, 270 TMC to Karnataka, 30 TMC to Kerala and 7 TMC to Puducherry. The award is still in force and is binding on all the parties to the dispute. The award was notified on 20-02-2013. To implement the award, the Supreme Court directed the Centre for constitution of the Cauvery Management Board. The States sent the list of their representatives to the Cauvery Management Board. However, the Centre approached the Supreme Court and in a complete U-turn it stated that in terms of sub-section(7) of section 6-A of the Interstate Rivers Water Dispute Act, the Centre is required to devise the scheme for implementation of the award of the tribunal and the same shall be placed before the Parliament. This new provision is a needless and obfuscatory provision. Since the Centre has not made use of this in all these years in respect of any award by tribunal, it may as well initiate the move to repeal this provision as well. As the purpose of the law is to end all disputes and legal squabbles at the earliest and not to father new and unending ones. The Centre has to act firmly and resolutely in this issue. A grave situation has arisen in which the Tamil diaspora has been subjected to vicious attacks, their properties worth hundreds of crores were looted and torched despite the Supreme Court sternly warning against the violence. In this scenario, I request the Hon'ble Prime Minister to ensure the protection of linguistic minorities wherever they live and ensure that adequate compensation is paid for their losses and I request the Hon'ble Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to play a proactive role to initiate the necessary process of amendment of the Inter-State Rivers Water Dispute Act for repeal of sub-section (7) of section 6-A.

(xviii) Special package for effluent treatment plants and infrastructural development facilities in Tiruppur in Tamil Nadu

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Indian Textile Industry has omnipresence in the economic life of the country. Apart from providing one of the basic necessities of life, the textile industry also plays a pivotal role through its contribution to industrial output, employment generation and the export earnings of the country. The textile sector is the second largest provider of employment after agriculture.

Tiruppur is the largest and fastest growing city in Tamil Nadu. It is one among the ten well-industrialized and economically developed districts of Tamil Nadu. Exports from Tiruppur, which provide employment to over seven lakh people have crossed the Rs. 15000 crore mark. Buyers from more than 50 countries frequently come to Tiruppur. More than 80 per cent of India's total knitwear exports originate from here. Therefore, Tiruppur deserves more support from the Union Government for its infrastructure development. Further, Tiruppur has more than 7000 dyeing units, which need generous support for effluent treatment plants to treat hazardous waste.

Therefore, I urge the Union Government to sanction a special package for effluent treatment plants and for other infrastructural development facilities to make Tiruppur as the front-runner in Textile and Knitwear sector in the country.

(xix) Need to address the challenges posed by the Regional comprehensive Economic Partnership agreement

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): India is currently involved in negotiations for a Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement. Once concluded, the RCEP Agreement will have the potential to be the world's largest free trade area with a total gross domestic product (GDP) of around US\$ 20 Trillion and an integrated market of over three billion people accounting for more than a quarter of world trade. It should be noted that the RCEP if ratified, affects every aspect of the Indian economy and its people, such as goods, services, investment, economic & technical co-operation, intellectual property, competition and dispute settlement. The extensive liberalization envisaged by the RCEP irreparably damages agriculture sector. The RECP will also jeopardize the government's efforts like 'Make in India' to revive manufacturing sector. Hence, I urge upon the Government to address the challenges by conducting socio-economic and human rights impact assessment with the involvement of all stakeholders including the representatives of the people before proceeding further. There should be deliberations and consensus among the stakeholders including the State Governments and representatives of people before concluding such an agreement having direct bearing on the cash and plantation crops and every spare of micro entrepreneurship.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have already disallowed the Adjournment Motion. If you want discussion.....

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ नियम - 56 के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): We are ready for a discussion under Rule 193 because people at large are with this decision of Shri Narendra Modi. ... (*Interruptions*) They want that black money should be finished; they want that fake notes should be finished; they want to give a death blow to terrorism. ... (*Interruptions*) Therefore, I request cooperation of all the political parties.

HON. SPEAKER: You are ready to discuss it under Rule 193 but I have disallowed Adjournment Motion.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम सभी लोग आपके साथ हैं, ... (व्यवधान) लेकिन आपका मैथड सही नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay, do you want to say anything?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am allowing you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR) : Hon. Speaker Madam, you have asked us to go for a discussion under Rule 193. But the problem is that we are in a mood to censure the Government under Adjournment Motion. So, we request you to let the Government come forward on the issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have already disallowed the Adjournment Motion today. So, the question does not arise.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Today, the situation is different. Many political parties in the Opposition are together today. ... (*Interruptions*) It is a different scenario. It had never happened at this Lok Sabha.

HON. SPEAKER: Do you not agree on the discussion under Rule 193?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Our approach is: let the Government come up, take up the decision through Adjournment Motion and let the House function normally.

HON. SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge, do you want to say something?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, हम सबका कहना एक ही है कि अगर नियम-56 के तहत एडजर्नमेंट मोशन चर्चा में लिया गया तो पूरा सदन उसमें भाग भी लेगा, उस पर वोटिंग भी होगी और कौन किधर है यह भी मालूम हो जाएगा। ... (व्यवधान) दूसरी चीज़ यह है कि नियम-193 के तहत सिर्फ चर्चा कर के आपको छोड़ देंगे। ... (व्यवधान) यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। ... (व्यवधान) यह इमरजेंट है और करोड़ों लोग उससे प्रभावित हैं। ... (व्यवधान) इसीलिए यह सेंसर है। ... (व्यवधान) Adjournment is a censure on the Government.

श्री अनन्तकुमार : मैडम, काले धन के बारे में, जाली नोट के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में कोई दुविधा नहीं है। ... (व्यवधान) सभी एक ही तरफ हैं। ... (व्यवधान) मैं नहीं समझता कि ये लोग काले धन के पक्ष में हैं, भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं या जाली नोट के पक्ष में हैं। ... (व्यवधान) हम इस सदन से इतना ही चाहते हैं, यानि इस महापंचायत से इतना ही चाहते हैं कि यहां से दो सुर नहीं निकलने चाहिए। ... (व्यवधान) इसीलिए नियम-193 के तहत चर्चा होनी चाहिए।

12.34 hours

(At this stage, Shri Deependra Huda, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। ... (व्यवधान) जितनी चाहें उतनी चर्चा करें। ... (व्यवधान) भारत सरकार को सुझाव भी दें। ... (व्यवधान) त्रासदी मिटाने के लिए, दिक्कत मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी सुझाव दें। ... (व्यवधान) मोदी सरकार के इस निर्णय के बारे में पूरे देशभर में लोग वाहवाही कर रहे हैं। लोग इसके समर्थन में हैं। ... (व्यवधान) हम चर्चा के लिए सदैव तैयार हैं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. You do not want a discussion.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I am sorry.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

12.35 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, November 18, 2016 / Kartika 27, 1938 (Saka).*
